

अनवान

श्री लक्ष्मी बंशना बनाम बतन सिंह

मुकदमा नं०..... अन्तर्गत धारा..... 53, 188 RT Act

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>16/05/2023 आज मद्र पत्रावली वहील वाही एवं वाही सं. 01 के धारणा पत्र पर उक्त डेट पर प्रेष दुर्घी वहील वाही कठारक वाही सं. 01 ने निवेदन दिया है कि वे धारणा में वाही नामा ले जाने के कारण उक्त अनुमती वाह के भागे नहीं चलाना चाहते हैं अतः धारा 188 RT Act में स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी वंश एवं वहील वाही गण श्री विष्णु मद्र के धारणा पत्र पर हुना गमा धारणा पत्र स्वीकार प्रोगम पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाउत वाह वाही 188 RT Act में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के लिए शुभ्रा उक्त नम्बर के उम होने बाद उक्त वाही दफतर होने सुनाया गया।</p>	<p>मुकदमा नं० यलान्त-पत्रावली श्री लक्ष्मी बंशना बनाम बतन सिंह 20 [Signature] (विष्णु मद्र) वाही सं. 2 की कोर्ट धारा 188 RT Act के स्वीकार कराने की में हेतु सचवाती दिया है। ID [Signature]</p>
	<p>उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0</p>	